30.9.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र 0 1 R 10 CPC एवं प्रार्थना पत्र 2/2 RTA निस्तारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। नंबर से क्रय हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/215

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

नवले खां बनाम कम्मो आदि

किस्म मुकदमाः—212 आर0टी0ए प्रकरण संख्याः—78/2024 (GCMS No. 2024/215)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। सर्वप्रथम वकील अप्रार्थी संख्या—1 ने स्थगन पर बहस करने हेतु निवेदन किया। वकील श्री जसवीर सिंह बराड़ ने निवेदन किया कि उनका प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया हुआ है। जिस पर बहस सुनी जावे। वकील श्री जसवीर सिंह ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी, वादी नवले खां का पुत्र है। प्रार्थी नवले खां का पुत्र होने के नाते उक्त प्रार्थना पत्र में मुख्य पक्षकार है। पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पक्षकार बनाया जावे। वकील वादी ने ऐतराज करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या—1 ने भी ऐतराज करते हुए बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को देरीना करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण खाता विभाजन का है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी जाकर हुसैन ने पक्षकार बनने का निवेदन किया है। जबकि प्रार्थी ना तो रिकार्डेड खातेदार है ना ही उसने कोई ऐसा कोई अन्य दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह साबित हो कि उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 9 एसजीएम की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 51 नया 31 पुराना में पत्थर संख्या 79/365 (92) का किला संख्या 21 ता 25 की 1.518 हैक्टर नाली दोयम, पत्थर संख्या 79/366 (99) के किला संख्या 1 ता 6, 7/1 ता 9/2, 10, 14, 15/1 व 15/2 की 2.190 हैक्टर नाली दोयम मय गै0मु0 रास्ता, पत्थर संख्या 80/365 (93) कि0न0 16/1, 16/2, 17/, 24, 25/1, 25/2 की 1.012 हैक्टर नाली दोयम मय खाला, प0न0 80/366 (98) कि0न0 5/1, 5/2 की 0.215 हैक्टर नाली दोयम मय गै0मु0रास्ता कुल 4.935 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खाता की है। जिसमें प्रार्थी का 1198/4935 हिस्सा है। शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम से अंकित है। उक्त भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण काश्तकारों में हमेशा भूमि सुधार, भूमि से संबंधित अन्य कामकाज में विवाद होते रहते है। अप्रार्थी संख्या—1 कम्मों अपनी नाम अंकित भूमि किसी अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहती है तथा अच्छी—अच्छी भूमि का बेचान करना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैरवाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा रहन बैय ना करने हेतु पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थी—1 ने विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी से समस्त सह काश्तकारान को पक्षकार नही बनाया है, मात्र अप्रार्थीया—1 को ही पक्षकार बनाकर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि में किलाजात खोलकर बैयनामा नही करवाया जा सकता है। प्रार्थीया अपनी भूमि पर केसीसी लाभ नही ले पा रही है। प्रार्थी, अप्रार्थीया को अपने हिस्सा की भूमि को बेचान करने से प्रतिबंधित नही कर सकता है। अप्रार्थीया—1 अंकित रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अपने खातेदार रकबा को हस्तातंरण करने से रोका नही जा सकता है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में समस्त सह काश्तकारों का पक्षकार नही बनाया है। अप्रार्थीया संख्या—1 राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार काश्तकार है। [illegible] अपना हिस्सा बेचान करने से रोका नही जा सकता है। अतः प्रार्थना [illegible] योग्य नही होने के कारण निरस्त किया जाना हम [illegible] अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 22.04.2024 को जारी टी.आई. भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested